न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)

PH:-01420-228487 E-Mail:-sdo-ban-dau-rj@nic.in

प्रकरण संख्या :–305 / 2022
प्रकरण दायर दिनांक:– 14.10.2022
प्रकरण निर्णय दिनांक:–23.10.2023

उनवान– 1. धनसिंह पुत्र शिवलाल उम्र 60 वर्ष जाति गुर्जर निवासी अणची का बास वार्ड नं. 25 गुढा रोड बॉदीकुई तहसील बॉदीकुई जिला दौसा

बनाम

1. रतनलाल पुत्र भोमाराम जाति माली निवासी जिन्द का बास हरिपुरा रोड जागीर बॉदीकुई तहसील बॉदीकुई जिला दौसा
2. छोटेलाल पुत्र शंकर लाल जाति माली निवासी जिन्द का बास हरिपुरा रोड जागीर बॉदीकुई तहसील बॉदीकुई जिला दौसा
3. प्रेमबाई पुत्री शंकर लाल जाति माली निवासी जिन्द का बास हरिपुरा रोड जागीर बॉदीकुई तहसील बॉदीकुई जिला दौसा हाल निवासी सिकन्दरा रायपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा
4. बाबूलाल पुत्र भोमाराम जाति माली निवासी जिन्द का बास हरिपुरा रोड जागीर बॉदीकुई तहसील बॉदीकुई जिला दौसा
5. मंजू देवी दोहित्री भोमाराम जाति माली निवासी बॉदीकुई तहसील बॉदीकुई जिला दौसा
6. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र शंकर लाल जाति माली निवासी जिन्द का बास हरिपुरा रोड जागीर बॉदीकुई तहसील बॉदीकुई जिला दौसा
7. रामसिंह पुत्र शंकर लाल जाति माली निवासी जिन्द का बास हरिपुरा रोड जागीर बॉदीकुई तहसील बॉदीकुई जिला दौसा
8. लड्डो देवी पुत्री भोमाराम जाति माली निवासी जिन्द का बास हरिपुरा रोड जागीर बॉदीकुई तहसील बॉदीकुई जिला दौसा
9. चमेली पुत्री शंकर जाति माली निवासी गुढाकटला तहसील बसवा जिला दौसा
10. दिलीपसिंह माल पुत्र रामसिंह गुर्जर जाति गुर्जर निवासी वार्ड नं. 10 सिंकन्दरा रोड बॉदीकुई तहसील बॉदीकुई जिला दौसा
11. राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार महोदय बसवा तहसील बसवा जिला दौसा

दावा तकास्मा
मुकदमा नं.–305 / 2022 सन्–2022

निर्णय दिनांक: 23.10.2023

वादी द्वारा वाद पत्र दावा तकास्मा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय से प्रस्तुत किया कि भूमि काश्त वाके रामा भोज्यावाला पटवार हल्का बॉदीकुई जागीर तहसील बॉदीकुई जिला दौसा में खाता सं. नया 31 पुराना 25 खसरा नं. 1749 रकबा 1.23 हैक्टेयर, कुल किता 01 कुल रकबा 1.23 हैक्टेयर स्थित है। जिसमें वादी का हिस्सा 103 / 1230 राजस्व रिकार्ड दर्ज है। भूमि मुतदाविया वादी की सहखातेदारी की भूमि है जिसका अभी तक विधिवत रूप से तकास्मा नहीं हुआ है। वादी अपने हिस्से की भूमि पर बहामी बॅटवारे से काबिज काश्त है। जब वादी ने प्रतिवादीगण से उक्त भूमि मुतदाविया का सरस–नरस मौके पर कब्जे अनुसार विधिवत तकास्मा कराने की कही तो

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकई (दौसा)

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण साफ इन्कार हो गये इसलिए वादी को यह वाद पेश करना लाजिम हुआ है। वादी अपने हिस्से अनुसार भूमि मुतदाविया का बंटवारा करवाने का हकदार है। भूमि मुतदाविया का विधिवत तकास्मा नहीं होने के कारण वादी को अपने खेत में सुधार करने तथा राज्य सरकार एवं भारत सरकार की कृषि सुधार के लिए जारी विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड रहा है। वादी भूमि मुतदाविया के अपने-अपनें हिस्सेनुसार सरस-नरस विधिवत तकास्मा करवाने के अधिकारी हैं। वादी के हिस्से की भूमि का सरस-नरस तकास्मा किया जाने के आदेश फरमाये जाना न्यायोचित है। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांकः 12.10.2022 को भूमि मुतदाविया का विधिवत तकास्मा करवाने से इन्कार करने के कारण वादी को न्यायालय हाजा के समक्ष दावा पेश करना लाजिमी हुआ है। जमाबंदी में खातेदार गौती देवी पत्नी शंकरलाल की मृत्यु हो चुकी है जिसके सभी वारिसान भूमि उपरोक्त में सहखातेदार हैं तथा जमाबन्दी मे दर्ज खातेदारान गुड्डी, निकिता, फुली, मुरारी, रमली, शीला द्वारा अपने हिस्से का हक त्याग बाबूलाल, रतनलाल के हक में किया जा चुका है। इस कारण उन्हे पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रतिवादीगण वादी को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करके कब्जा करने एवं भूमि को दीगर लोगों को बेचान करने की धमकी दे रहे हैं। इस कारण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबंद फरमाया जावे की वे वादग्रस्त भूमि का बिना तकास्मा करवाये रहन, बय न करें, पुख्ता निर्माण न करें तथा भूमि के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांकः 12.10.2022 को भूमि मुतदाविया का विधिवत तकास्मा करवाने से इन्कार करने से वादी के पास न्यायालय हाजा के समक्ष वादपत्र पेश करने के अलावा कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रहा है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि मुतदाविया का वादी के हिस्सेनुसार सरस-नरस रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विधिवत तकास्मा किया जावे तथा वादी के हिस्से की भूमि का खाता, पर्चा अलग कायम किया जावे।

वादी वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये रजिस्टर्ड ए.डी. सम्मन विधिवत की गई। प्रतिवादी सं. 1 लगा. 4 व 6 लगा. 10 स्वयं न्यायालय हाजा में उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रतिवादी सं. 4 की ओर से जर्ये वकील जवाब दावा एवं काउण्टर वाद पेश किया गया। वादी की ओर से जवाब काउण्टर दावा पेश किया गया। तनकीयात कायम की जाकर प्रकरण साक्ष्य में नियत किया गया। साक्ष्यवादी शपथ पत्र धनसिंह पुत्र शिवलाल जाति गुर्जर निवासी अणची का बास वार्ड नं. 25 गुढा रोड बॉदीकुई तह. बॉदीकुई जिला दौसा का पेश किया गया। साक्ष्यवादी जिरह प्रतिवादी वकील द्वारा की गई। तदनुपरान्त पत्रावली प्रशासन गॉवों के संग अभियान-2023 शिविर ग्राम पंचायत भाण्डेडा में पेश हुई। उभयपक्षकारान शिविर में उपस्थित आये। उभयपक्षकारान द्वारा वादग्रस्त भूमि का तकास्मा कराने हेतु निवेदन किया गया एवं सहमति प्रकट की। इस बाबत आदेशिका पर हस्ताक्षर किये गये। वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में उभयपक्षकारान की सहखातेदारी भूमि दर्ज है। प्रत्येक सहखातेदार को खातेदारी भूमि का विधिवत तकास्मा करवाने का अधिकारात प्राप्त होने एवं उभयपक्षकारान द्वारा वादग्रस्त भूमि का तकास्मा कराने हेतु निवेदन करने एवं सहमति प्रकट करने पर वादी वाद तकास्मा स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया गया। तथा तहसीलदार बॉदीकुई को भूमि खाता संख्या नया 31 पुराना 25 खसरा नं. 1749 रकबा 1.23 हैक्टेयर, कुल किता 01 कुल रकबा 1.23 हैक्टेयर वाके रामा भोज्यावाला पटवार हल्का बॉदीकुई जागीर तहसील बॉदीकुई जिला दौसा का राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज खातेदारान के मध्य, विधिवत उनकी उपस्थिति में, मौका व कब्जा काश्त अनुसार, रास्ते आदि की सुविधा को ध्यान में रखते हुये सरस नरस मौका विभाजन कर कुरैजात प्रस्ताव बरंग सुर्ख नक्शा ट्रेस दो प्रतियों में तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

तहसीलदार बॉदीकुई के पत्र कमांकः 2483 दिनांकः 19.06.2023 द्वारा कुरैजात प्रस्ताव प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादी सं. 4 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 जा. दी. निर्णय एवं डिक्री दिनांकः 27.05.2023 में संशोधन किये जाने बाबत पेश किया गया। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष वकील बहस सुनी गयी। प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाकर प्रकरण कुरैजात बहस में नियत किया गया। माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय दौसा के प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण निर्णय दिनांकः 11.10.2023 की निर्णय प्रति प्रस्तुत की गई। शामिल पत्रावली की गई। मा. न्यायालय के निर्णय दिनांकः 11.10.2023 द्वारा प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया गया। तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त कुरैजात का उभयपक्ष वकील द्वारा अवलोकन किया गया। प्राप्त कुरैजात पर उभयपक्ष वकील बहस सुनी गयी। हमने बहस उभपक्षवकील पर मनन किया एवं तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त कुरैजात प्रस्ताव दिनांकः 07.06.2023 का अवलोकन किया। प्राप्त कुरैजात तहसीलदार बॉदीकुई द्वारा पक्षकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर बरूये राजस्व रिकार्ड के बनाया जाना प्रकट होने से प्राप्त

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with CamScanner

कुरैजात स्वीकार किये जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी वाद दावा तकारमा स्वीकार किया जाकर प्राप्त कुरैजात अनुसार निम्न अनुसार अंतिम डिकी किया जाता है–

वर्तमान जमाबंदी मे दर्ज प्रविष्टी				वर्तमान कुरैजात प्रस्ताव के अनुसार खातेदारी			
नाम ग्राम	खाता सं0	खसरा नं.	रकबा	क्रम सं.	नाम काश्तकार व वल्दियत	खसरा नंबर	रकबा
[illegible]	नया–31 पुराना–25	1749	1.23 हैक्ट.	1.	धनसिंह पुत्र शिवलाल हि. पूर्ण जाति गुर्जर सा. अणची का बास वार्ड नं. 25 बॉदीकुई	1749/	0.1030
		किता 01	1.23 है0		योग	किता–1	0.1030 हैक्ट.
				2.	दिलीप सिंह माल पुत्र रामसिंह जाति गुर्जर सा. श्यालावास खुर्द बॉदीकुई	1749/	0.1117
					योग	किता–1	0.1117 हैक्ट.
				3.	रामसिंह, छोटेलाल पि. शंकरलाल हि. 5/23, राजेन्द्र प्रसाद पुत्र शंकरलाल हि. 9/46, प्रेमबाई, चमेलीबाई पुत्री शंकरलाल हि. 9/23, भौती देवी पत्नि शंकरलाल हि. 9/46 जाति माली सा. देह खातेदार	1749/	0.5239
					योग	किता–1	0.5239 हैक्ट.
				4.	बाबूलाल पुत्र भोमाराम हि. 3605/17199, रतनलाल पुत्र भोमाराम हि. 2884/17199, रमली पुत्री भोमाराम हि. 3605/17199, लड्डोदेवी पुत्री भोमाराम हि. 3500/17199, मुरारीलाल दोहित्रा भोमाराम हि. 515/17199, गुड्डी, मंजू, फूली, शीला, निकिता, नेहा दोहित्री भोमाराम हि. 1030/5733 जाति माली सा. देह खातेदार	1749/	0.4914
					योग	किता–1	0.4914 हैक्ट.

प्राप्त कुरैजात प्रस्ताव में खसरा नं. 1749 के बटा अंकित नहीं किये गये हैं। परन्तु कुरैजात प्रस्ताव के संलग्न नक्शा शीट में खसरा नं. 1749 के चार भाग क्रमशः 1749/1, 1749/2, 1749/3 एवं 1749/4 अलग अलग रंगों द्वारा संबंधित खातेदारों के प्रदर्शित किये गये है। तहसीलदार बॉदीकुई कुरैजात प्रस्ताव के संलग्न नक्शा शीट में प्रदर्शित हिस्से अनुसार संबंधित खातेदारों का राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। कुरैजात, निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। अंतिम डिकी जारी हो। पालना हेतु तहसीलदार बॉदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23.10.2023 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

निर्णय सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)
(नीरज कुमार मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बॉदीकुई

Scanned with CamScanner